

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांधी के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान लागच

दिनांक :- 02/05/23

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लागच व भू-अभिलेख निरीक्षक सिद्ध की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशांका के आदेश पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लागच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 164 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दर्शाने के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	लागच	164	लीला पति सुहेवाल लागच	लीला पति सुहेवाल लागच

(सिद्ध)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :-

क्रमांक / 121

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, को भजे कर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दर्शाने को सूचनाएँ।
किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजायाये।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली।

(सिद्ध)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़